न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2019/109

प्रेमबाई बेवा श्री मांग्या जाति गुर्जर निवासी ग्राम गुहाटा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी।
———अपीलान्ट

बनाम

1. कौशल्या बाई आयु 46 वर्ष दत्तक पुत्री धुलया जाति गुर्जर निवासी देहीखेडा पत्नी श्री बाबूलाल हाल निवास प्रेमनगर कोटा ।
2. सत्यनारायण पुत्र प्रभूलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम गुहाटा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी
3. प्रेमशंकर पुत्र प्रभूलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम गुहाटा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।
4. श्रवणी बाई बेवा प्रभूलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम गुहाटा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी।
5. रूकमणी बाई पुत्री प्रभूलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम अनधोरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।
6. श्रीमान् जिला कलक्टर, बून्दी ।
7. श्रीमान् उप पंजीयक अधिकारी, इन्द्रगढ जिला बून्दी ।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार इन्द्रगढ जिला बून्दी ।
9. बैंक ऑफ बडौदा शाखा लबान जरिय शाखा प्रबन्धक तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री बालकिशन रायका, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री सुरेश कुमार वर्मा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 1 की ओर से
3. श्री नरेन्द्र गुप्ता, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 09 की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 06.07.2022

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लाखेरी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय 23.05.2013 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट कम 1 ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89, 53 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत किया । उक्त वाद के साथ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के अन्तर्गत प्रार्थना

पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम गुहाटा तहसील इन्द्रगढ की आराजी कुल किता 03 की रकबा 4.29 हैक्टर स्थित है । उक्त भूमि वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में अप्रार्थी संख्या 01 के पति मांग्या आत्मज श्री धूला एवं प्रभूलाल का नाम हिस्सा बराबर खातेदार के रूप में दर्ज चला आ रहा है । वादग्रस्त आराजी में धूलया का 1/2 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार निहित है । वादग्रस्त आराजी में अप्रार्थी कम 01 के पति मांग्या के साथ प्रार्थिया का नाम भी सहखातेदार के रूप में पुत्री होने के कारण अंकित होना चाहिए था । प्रार्थिया को अधिकार प्राप्त है कि वह अपने आपको वादग्रस्त आराजी में 1/4 हिस्से पर सहखातेदार कृषक घोषित करावे ।

3. अतः प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थिया के पक्ष में अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा पारित की जावे कि अप्रार्थी कम 01 पति मृतक मांग्या के सम्पूर्ण हिस्से पर फौती नामान्तरकरण तस्दीक कराने की कार्यवाही नहीं करे । वादग्रस्त आराजी का बेचान नहीं करे तथा अप्रार्थी कम 2 व 3 विक्रय पत्र का पंजीयन नहीं करें । उक्त कृत्य न तो अप्रार्थीगण स्वयं करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

4. परीक्षण न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 23.05.2013 के द्वारा प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कर दिया ।

5. परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.03.2013 से व्यथित होकर अप्रार्थी कम 01 अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि परीक्षण न्यायालय में रेस्पोडेन्ट कम 01 के द्वारा अपना प्रार्थना पत्र गोद के तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया । गोद का प्रश्न राजस्व न्यायालय को धारा 207 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत नहीं है । वादग्रस्त आराजी में रेस्पोडेन्ट का कोई हक एवं अधिकार नहीं है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.05.2013 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 05 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.05.2013 की जानकारी रेस्पोडेन्ट कम 01 के द्वारा गॉव गुहाटा में वर्ष 2019 के प्रथम सप्ताह में बताये जाने पर परीक्षण न्यायालय की पत्रावली का मुयाना कर नकल प्रार्थना पत्र दिनांक 24.01.2019 को प्रस्तुत करने पर दिनांक 30.01.2019 को नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गईं । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट कम 01 के द्वारा अपना प्रार्थना पत्र गोद के तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया । गोद का प्रश्न राजस्व न्यायालय को धारा 207 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत नहीं है । वादग्रस्त आराजी में रेस्पोडेन्ट का कोई हक एवं अधिकार नहीं है । राजस्व रिकॉर्ड में अपीलान्ट के पति मांग्या का व रेस्पोडेन्ट कम 2 लगायत 4 के पिता प्रभूलाल का

बराबर–बराबर 1/2 – 1/2 हिस्सा अंकित है एवं खातेदार कृषक हैं । रिकॉर्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.05.2013 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरआरटी 2013 (2) पेज 805, आरआरटी 2013 पेज 123 उद्वरत की ।

9. विद्वान् अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23.05.2013 के विरूद्ध न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा में अपील प्रस्तुत कर दी थी । उक्त अपील को अपीलान्ट द्वारा नोट प्रेस में खारिज करवा लिया गया । इस तथ्य को छुपाकर अपीलान्ट द्वारा पुनः न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा में अपील प्रस्तुत की है । अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.02.2018 की जानकारी अपीलान्ट को अपील प्रस्तुत करते समय ही हो गई थी । अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ धारा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं है । अपीलान्ट ने न्यायिक प्रकिया का दुरूपयोग कर पुनः अपील पेश की है । अतः अपील अपीलान्ट मियाद बाहर होने एवं अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज फरमाई जावे ।

10. रेस्पोडेन्ट कम 09 के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.05.2013 की अपील पूर्व में न्यायालय हाजा में पेश की गई थी जिसे दिनांक 08.02.2018 को नोट प्रेस किया गया है । न्यायालय हाजा ने उक्त अपील को नोट प्रेस के आधार पर खारिज किया था । अपीलान्ट अपील के साथ धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के साथ शपथ पत्र संलग्न किया है वह नोटेरी/ओथ कमीश्नर/मजिस्ट्रेट किसी द्वारा सत्यापित नहीं होने से ग्राह्य नहीं है । परीक्षण न्यायालय ने अपीलान्ट को प्रोपर नोटिस तामील करवाये थे बावजूद इसके वे परीक्षण न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए इस कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई ।

11. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.05.2013 के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा न्यायालय हाजा में पूर्व में 18.07.2013 को अपील पेश की थी जिसे अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक द्वारा दिनांक 08.02.2018 को नोट प्रेस किया गया जिसके कारण उक्त अपील न्यायालय हाजा द्वारा नोट प्रेस में खारिज की गई ।

12. तत्पश्चात् अपीलान्ट द्वारा न्यायालय हाजा में पुनः दिनांक 18.02.2019 को अपील पेश की गई है । उक्त अपील में पुरानी अपील जो दिनांक 08.02.2018 को नोट प्रेस में खारिज की गई थी के संदर्भ में कोई टिप्पणी/तथ्य अंकित नहीं किये गये हैं । अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने कथन किया है कि न्यायालय हाजा में पूर्व में अपीलान्ट प्रेमबाई द्वारा कोई अपील पेश नहीं की गई है। हम विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट के उक्त कथन से सहमत नहीं हैं क्योंकि न्यायालय हाजा में प्रस्तुत अपील में अपीलान्ट प्रेमबाई के हस्ताक्षर हैं और उनके हस्ताक्षर से ही अपील

पेश की गई थी जिसे उनके द्वारा नियुक्त अभिभाषक द्वारा नोट प्रेस किया गया है और न्यायालय हाजा ने नोट प्रेस के आधार पर पूर्व अपील को खारिज किया है । यदि पूर्व में अपीलान्ट द्वारा कोई अपील पेश नहीं की गई तो क्या विद्वान् अभिभाषक द्वारा गलत तरीके से अपील पेश हुई ? क्या अपीलान्ट द्वारा उक्त अभिभाषक महोदय के विरूद्ध कोई कार्यवाही की गई ? ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है । अपीलान्ट द्वारा न्यायालय हाजा में धारा 05 मियाद अधिनियम के तहत पेश प्रार्थना पत्र के साथ शपथ पत्र पेश किया है वह नोटेरी/शपथ आयुक्त/मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित नहीं है । उक्त अपील भी लगभग 06 वर्ष के विलम्ब से प्रस्तुत की है । अतः धारा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी अस्वीकार किया जाता है । परीक्षण न्यायालय में अपीलान्ट को नोटिस प्रोपर तामील हुए हैं जो परीक्षण न्यायालय की आदेशिका दिनांक 12.12.2012 से साबित है । अपीलान्ट ने परीक्षण न्यायालय में उनके विरूद्ध की गई एकपक्षीय कार्यवाही को सेट–असाइड भी नहीं करवाया गया है । हम विद्वान् अभिभाषक रेस्पोडेन्ट के इस कथन से सहमत हैं कि तथ्यों को छुपाने के कारण अपील क्लीन हैण्ड से पेश नहीं की गई है । इस प्रकार अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन होने से स्वीकार योग्य नहीं है ।

13. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.05.2013 बहाल रखा जाता है ।

14. निर्णय आज दिनांक 06.07.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा